21/1/21

अभि० अयपक्ष उप०। अहलत जा०पत्र द०

आपत्ति एवं मूल पत्रावली की एक साथ समात की गई। जो प्रार्थना पत्र एवं जवाब के अनुसार रही।

मूल प्रार्थना पत्र में प्रार्थी का कथन है कि उसके व उसके परिवारजन के सहखाते दारी की आराजी खसरा नम्बर 3210 रकबा 0.88 है वाके ग्राम गोवारापासिंह में स्थित है जिसको प्रार्थी काश्त करता आ रहा है उसकी भुवाजी गीता व उसकी बहिन मनभाए ससुराल रहती है जीहू की मृत्यु हो चुकी है प्रार्थी अपने खातेदारी की आराजी ख० नं० 3210 में आने जाने के

Ruby

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एलएनटी सड़क से बागात की ओर जाने वाले रास्ते से होकर अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी ख. नं. 3212 रकबा 0.76 हे० की दक्षिणी मेर के सहारे सहारे नजरी नक्शे में दर्शित रास्ते से होकर आता जाता है अप्रार्थीगण की खातेदारी में होने से वे अब रास्ते से आने जाने से मना करते है। अतः प्रार्थी की आराजी पर आने जाने हेतु खसरा नं 3212 के दक्षिणी मेर से होते हुए लाल रंग से दर्शित स्थान से 20 फिट का रास्ता तीट में अंकित कर रास्ता कायम करवाया जावे। उचित संकल्प किये जाने हेतु प्रार्थी तत्पर है।

प्रार्थनापत्र प्रार्थी पेश होने पर तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ख. नं. 3210 रकबा 0.88 हे० में आने जाने हेतु ख. नं. 3212 में से होकर रास्ता चाहता है जबकि ख. नं. 3200 व 3204 प्रार्थी की खातेदारी में है उक्त ख. नं. में जाने के लिए ख. नं. 3200 तक राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज है उक्त खेतों को जोतने के लिए प्रार्थी ख. नं. 3200 पर आने वाले रास्ते को काम में लेते आ रहे है। ख. नं. 3204 से होकर ख. नं. 3203 के उत्तरी मेड़ से होकर प्रार्थी ख. नं. 3210 पर आ जाकर काश्त करता आ रहा है ख. नं. 3212 की उत्तरी ख. नं. 3213 के मध्य होकर ख. नं. 3217 व 3211 के पश्चिमी मेड़ पर मौके पर रास्ता बना हुआ है उक्त रास्ते को प्रार्थी काम में लेता आ रहा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बीच कथित दिनांक को कोई विवादमूल उत्पन्न नहीं हुआ है बिना विवादमूल प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है आराजी ख. नं. 3210 की खातेदारी गीता पुत्री नन्दा, मनभर पुत्री रामनाथ की ओर से प्रार्थना पत्र अकेले महावीर की तरफ से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है एक खातेदार की मृत्यु होना Ruby

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज
	प्रार्थी बता रहा है उसके वारिसान को भी प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है जबकि आवश्यक पक्षकार है अत: प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी ने प्रा० पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी बाके ग्राम होडारामसिंह की खतौनी नं. 315, 763 बाके ग्राम होडारामसिंह सम्वत 2073-2076, नकल नक्शा ट्रेस पेश किये। तहसीलदार को रास्ते बाबत मौका रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये गये। जिस पर रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण की ओर से आपत्ति दर्ज पेश की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस पर मनन किया। प्रार्थी महावीर जिस आराजी ख. नं. 3210 रकबा 0.88 है० बाके ग्राम होडारामसिंह पर आने जाने हेतु ख. नं. 3212 में होकर रास्ता कायम करवाना चाहता है ख. नं. 3210 मुताबिक राजस्व रिकार्ड गीता पुत्री नन्दा हि० 1/4, मनभर पुत्री रामनाथ हि० 1/4, महावीर पुत्र रामनाथ हि० 1/4, मीठू पुत्री रामनाथ हि० 1/4 सभी जाति माली सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है अर्थात राजस्व रिकार्ड अनुसार उक्त ख. नं. 3210 चार खातेदारों की सहखातेदारी में दर्ज है कानूनन सभी सहखातेदार का हर इंच पर हर खातेदार का कब्जा माना जाता है जबतक आराजी का विधिवत तकासमा नहीं हो जाता है तब तक हर इंच पर हर सहखातेदार का कब्जा माना जायेगा प्रार्थी के अनुसार खातेदार मीठू पुत्री रामनाथ की मृत्यु होना बताया है। प्रार्थी द्वारा मृतक खातेदार मीठू पुत्री रामनाथ के विधिक वारिसान तथा खातेदार गीता पुत्री नन्दा व मनभर पुत्री रामनाथ को
Ruby	

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उक्त प्रकरण में बिना पक्षकार बनाये ही प्रा०पत्र पेश किया है प्रा०पत्र अकेले महावीर पुत्र रामनाथ द्वारा ही पेश किया है जिसका मात्र ½ हिस्सा ही है सहखातेदार गीता, मनफर तथा मृतक खातेदार मीठू के विधिक वारिसान भी आवश्यक पक्षकार है जिन्हे बिना पक्षकार बनाये प्रकरण पेश किया है जो कानूनन विधि सम्मत नहीं होने से संधारणीय नहीं है जब मूल प्रार्थना पत्र ही संधारणीय नहीं है तो आपत्ति प्रा०पत्र का फैसला किये जाने की आवश्यकता ही नहीं है अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम चलने योग्य नहीं होने के फलस्वरूप खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो हुक्म आज खुले न्यायालय में सुना गया। Ruby उपखण्ड अधिकारी [illegible] (टोंक)	